न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित–अशोक कुमार यादव–I,एच.जे.एस.,

शेसन्स केस संख्या–365/2023

राज्य बनाम रामदयाल।

धारा–302 भारतीय दंड संहिता,

थाना–जुगैल, जिला–सोनभद्र।

<u>आदेश</u>

<u>10.07.2023</u> :–

पुकार पर अभियुक्त रामदयाल जेल से तलब होकर उपस्थित है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दांडिक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता/एमिकस क्यूरी को आरोप विरचन के विन्दु पर सुना। अभियोजन की ओर से विवेचक के द्वारा एकत्रित साक्ष्य को बताते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त रामदयाल के विरूद्ध धारा–302 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से इस स्तर पर अभियुक्त रामदयाल के विरूद्ध धारा–302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आरोप विरचित किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना साक्ष्य दिनॉक–24.07.2023 को प्रस्तुत करे।

दिनांक–10.07.2023

(**अशोक कुमार यादव–I**)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित–अशोक कुमार यादव–I, एच.जे.एस.,

सत्र परीक्षण संख्या–365/2023

राज्य बनाम रामदयाल।

धारा–302 भारतीय दंड संहिता,

थाना–जुगैल, जनपद–सोनभद्र।

–:**<u>आरोप</u>**:–

मैं अशोक कुमार यादव–I, सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र आप अभियुक्त रामदयाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूं:–

प्रथम:– यह कि दिनांक–15.01.2023 को बहद स्थान–जुगैल टोला गर्दा, थाना–जुगैल, जनपद–सोनभद्र में आपने वादी राजीन्दर की बहन/अपनी पत्नी वुटली देवी की मारपीट कर हत्या की। ऐसा करके आपने भारतीय दंड संहिता की धारा–302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–10.07.2023

(अशोक कुमार यादव–I)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांक–10.07.2023

(अशोक कुमार यादव–I)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

Digitally signed by Ashok Kumar Yadava I
Date: 2023.07.10 19:36:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court,Sonbhadra